न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–313/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/313

अपीलाण्ट :–

डायाराम पुत्र श्री गणेशाजी, जाति माली, उम्र–वयस्क, निवासी शांथु तहसील एवं जिला जालोर राजस्थान।

वनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. श्रीमति लक्ष्मी देवी पुत्री गणेशाजी, पत्नी हकाराम जी, माली, निवासी साथु हाल सियाणा, जिला जालोर राजस्थान।

2. अणसी देवी पुत्री गणेशाजी, पत्नी सुखराम जी, जाति माली, निवासी शांथु, हाल वरालपुर, महाराष्ट्र.

3. श्रीमति पिंकी देवी पुत्री गणेशाजी, पत्नी वागाराम जी माली, जाति माली, हाल निवासी सियाणा, जिला जालोर राज. ।

4. श्रीमति माफी देवी पुत्री गणेशाजी, पत्नी सवाराम जी, जाति माली, हाल निवासी सियाणा, जिला जालोर राजस्थान।

5. श्रीमति उजी देवी पुत्री गणेशाजी, पत्नी खुमाराम जी, माली, फोत के कायम मुकाम

5/1 नेमीचंद पुत्र खुमाराम

5/2 लक्ष्मण पुत्र खुमाराम,

6. श्रीमति आशी देवी उर्फ आशा पुत्री गणेशाजी पत्नी जवानाजी, हाल निवासी सियाणा–जिला जालोर राजस्थान ।

7. देवाराम पुत्र गणेशाजी माली,

8. छगनाराम पुत्र गणेशाजी माली,

9. भुरा पुत्र गणेशाजी माली के कायम मुकामः–

9/1– रंगु देवी पत्नी भुराराम,

9/2– गोपाराम पुत्र भुराराम,

9/3 दीपाराम पुत्र भुराराम,

9/4– किशनाराम पुत्र भुराराम,

9/5– सुरेश पुत्र भुराराम,

9/6– कमला देवी पुत्री भुराराम, पत्नी धनाराम,

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24.12.24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

9/7– नारंगी देवी पुत्री भुराराम, पत्नी देसाराम, जाति माली, निवासीगण आकोली।

10. जगरूपसिंह पुत्र जवानजी, जाति राजपुरोहित, निवासी रेवतडा, तहसील सायला,

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध मुकदमा संख्या 20/2023 निर्णय दिनांक 23/09/2024 बअनवान श्रीमति लक्ष्मी देवी वगैरा बनाम श्रीमति उजी देवी के का० मु० वगैरा, न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर को निरस्त करने बाबत

उपस्थिति :–

1. श्री नवीन कुमार दवे, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री कानाराम सोंलकी, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः 24.12.2024

1. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर के प्रकरण संख्या 20/2023 निर्णय दिनांक 23.09.2024 बअनवान श्रीमति लक्ष्मी देवी वगैरा बनाम श्रीमति उजी देवी के का० मु० वगैरा से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यहअपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्टके अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि, तथ्यो एवं नियमो के प्रतिपादित सिद्धांतो सहित प्राकृतिक न्याय के विपरित होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने परिसीमा के विधिक तथ्य की ओर ध्यान दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि विधि अनुसार परिसीमा के बिन्दु को सर्वप्रथम रूप से विधिक बिन्दु के रूप मे लिया जाकर उसको

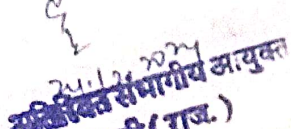

निर्णित किया जाना चाहिए, साथ ही यह भी विचारित किया जाना चाहिए कि प्रकरण किसी भी तरह से परिसीमा अवधी से बाधित होकर चलने योग्य रह जाता है अथवा नही, इस संबध न्यायिक दृष्टान्त 2015(1)आरआरटी पेज सं. 369, 2018(2)आरआरटी पेज सं. 1057 व 2018(2)आरआरटी पेज सं. 879 पेश किये गये। इस विधिक बिन्दु की ओर ध्यान दिये बिना ही तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात एवं जवाब के होते हुए भी बिना उन पर कोई संज्ञान लिये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया है जो काबिले अपास्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्थिति पूर्ण रूप से मौजूद थी कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त अपीलाधीन म्युटेशन मे प्रार्थीया लक्ष्मी देवी, अणसी देवी, पिंकी देवी, माफी देवी, द्वारा पूर्व मे इसी म्युटेशन एवं इन्ही खसरा नम्बरान की भूमि से सम्बंधित एक वाद बाबत् खातेदार घोषित किये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय जालोर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमे अन्य के अलावा उक्त चारो बहिने बतौर वादीया के पक्षकार रही है तथा शेष व्यक्ति प्रतिवादी के रूप मे भाईयो व बहनो को पक्षकार बनाया गया तथा उक्त वाद दिनांक 09/07/2018 को पेश किया गया तथा अब वर्तमान मे इन खसरा नम्बरान व म्युटेशन को लेकरअपीलाधीन अपील प्रस्तुत की गयी। विधिक रूप से पक्षकारो के अधिकार मूल वाद मे तय किये जाते है। उक्त बहिनो वादीगण द्वारा उक्त वाद मे जानकारी बाबत एवं वादकारण बाबत तथ्य पूर्ण रूप से अंकित कर दिये उनको उक्त पारित म्युटेशन बाबत जानकारी सन 2018 व उससे पूर्व हो गयी। तत्पश्चात अपीलाधीन पारित म्युटेशन अपील मे इन्ही वादीगण बहिनो द्वारा प्रस्तुत अपील मे दिनांक 11/07/2023 को उक्त पारित म्युटेशन बाबत जानकारी होना बताते हुए सशपथ अपील प्रस्तुत की गयी है, जबकि इनके द्वारा प्रस्तुत खातेदारी घोषणा के वाद मे सन 2018 मे जानकारी होने बाबत कथन अंकित कर दिये गये तथा वास्तविक रूप से जानकारी भी हो गयी थी तब ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक बिन्दु की ओर बिना कोई ध्यान दिये तथा बिना विधिक स्थिति गौर फरमाये, केवल मात्र अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया तथा इस महत्वपूर्ण बिन्दु बाबत् कोई फाईनडिंग अपने द्वारा पारित आदेश मे नही दी जिस कारण से अपीलाधीन पारित आदेश काबिले अपास्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र परिसीमा बाबत प्रस्तुत करके इस विधिक स्थिति की और अधीनस्थ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया था तथा इस सम्बंध मे पूर्व मे प्रस्तुत वाद मे जानकारी होने बाबत कथन करते हुए परिसीमा से बाधित होने एवं अपील इसी स्तर पर चलने योग्य नही रह जाने बाबत कथन किये गये थे बावजूद इसके भी अधीनस्थ न्यायालय ने न तो प्रस्तुत दस्तावेजो पर कोई गौर किया और न ही उक्त परिसीमा के जवाब मे तथ्यो बाबत ही कोई ध्यान नही दिया और न ही अपनी फाईनडिंग ही दी गयी, जबकि अपीलांट द्वारा यह स्पष्ट कथन किया गया था कि उपखण्ड अधिकारी जालोर के समक्ष एक वाद संख्या 28/2018 बअनवान उजी देवी वगैरा बनाम भुरा वगैरा का खातेदारी घोषणा बाबत प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त वाद मे इस प्रस्तुत अपील के रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगायत 04 यानि अपीलाधीन पारित आदेश की अपील मे अपीलाण्टगण द्वारा प्रतिफल प्राप्त करके उक्तवाद को अदम पैरवी व अदम हाजरी मे खारिज करवा दिया गया, इस कारण उक्त वाद मे जानबुझकर पैरवी नही की गयी, जबकि

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपीलाण्ट द्वारा अपने परिवार की खातेदारी भूमि को सुकर्म के चलते पुनः खरीदने के कारण रेस्पोडेण्टगण को ईर्ष्या होने लगी तथा नियम भी खराब हो गयी इसी के चलते अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गयी जो परिसीमा अवधी से बाधित रही है इस विधिक तथ्य की ओर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो काबिले अपास्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगायत 04 वगैरा ने सन 2018 मे खातेदारी अधिकारी बाबत मूल दावा पेश कर दिया, तत्पश्चात यदि उन्हे किसी भी प्रकार की नाराजगी होती अथवा कोई कानुनी बिन्दु किसी बाबत शेष रह जाता तो ऐसी स्थिति में उसी मूल वाद मे चाराजोही करने के लिये पूर्णतया स्वंतत्र रहती है तथा उसी प्रस्तुत मूल वाद मे समस्त कथन किये जा सकते थे, न कि अन्य तरीके से पूर्व के तथ्यो को छिपाकर बाले बाले अपील के जरिये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर परिसीमा बाधित कार्यवाही की जानी थी। इस तरह से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगायत 04 स्वच्छ हाथो व मंशा से न्यायालय के समक्ष नही आये है तथा उन्होने तथ्यो को छिपाया है एवं सशपथ परिसीमा बाधित कथन किये है, इन तथ्यो की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नही दिया तथा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो काबिले अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपीलाधीन आदेश दिनांक 07/06/1987 को भरे गये म्युटेशन बाबत पारित किया गया है जो करीबन 26–27 वर्ष पश्चात चौलेंज किया गया है जिसमे भी वर्ष 2018 से जानकारी के करीबन 06 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है, इतनी लम्बी अवधी पश्चात चौलेंज किये गये म्युटेशन को सरसरी तौर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित कर दिया गया है तथा जानकारी के 06 वर्ष के पश्चात की अवधी बाबत कोई फाईनडिंग नहीं दी गयी। इस तरह से बिना विधिक फाईनडिंग दिये तथा बिना लम्बी अवधी को कंडोन करने बाबत कोई फाईनडिग दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो किसी भी स्थिति मे निर्णय की तारीफ मे नही आता है। ऐसा प्रतित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र निर्णय पारित करने के उद्देश्य से अथवा अपीलाण्ट को बेजा फायदा पहुंचाने के उदेश्य से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया काबिले अपास्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उसमे अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर अनुतोष प्रदान किया है तथा मूल म्युटेशन को खारिज करने का आदेश दिया है जो पूर्णतया अधिकार क्षेत्र से परे है तथा कानुन के विपरित है इस कारण से अपीलाधीन आदेश किसी भी सुरत मे बहाल किये जाने योग्य नही है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने द्वारा पारित आदेश में यह कथन तो अंकित कर दिया की गणेशा की मृत्यु के पश्चात उनकी संतानो का नाम दर्ज होना चाहिए लेकिन पूर्व मे प्रस्तुत वाद बाबत नये अधिवक्ता कर पत्रावली रेस्टोर करवायी गयी है, लेकिन परिसीमा अवधी बाबत कोई तथ्य न तो अंकित किया है और न ही उसका विशलेषन ही किया है तथा परिसीमा बाधित नही होने बाबत कोई फाईनडिंग ही अंकित नहीं की है तथा साथ ही मूल अनुतोष हेतु इसी बाबत जब मूल वाद विचारणीय है तब ऐसी स्थिति मे उक्त अपील चलने योग्य नही रह जाती थी तथा अधीनस्थ न्यायालय उक्त अपील को विचाराधीन रखते हुए मूल वाद के निर्णित होने तथा उसी अनुरूप उक्त अपील को बाद मे सुनवाई कर निर्णित किये जाने

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

का आदेश पारित कर सकता था, जो विधि अनुरूप आदेश होता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र अपील निर्णित करने के एकमात्र उदेश्य से बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाये अपीलीन आदेश काबिले अपास्त किये जाने योग्य है।

अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशिका दिनांक 28/08/2024 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि स्वंय न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अपील मे जगरूपसिंह पुत्र जवानसिंह बतौर संयोजित किये जाने का आदेश पारित किया जबकिअधीनस्थ न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता था, इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 12/09/2024 को वास्ते तलबी के नियत की गयी लेकिन दिनांक 12/09/2024 कों पक्षकार की तलबी हुई अथवा नही एवं उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति बाबत कोई अंकन कोई आदेशिका मे अंकित नही किया गया तथा इसी दिनांक अधिवक्ता की बहस सुनना अंकित किया जाकर पत्रावली मे सीधे ही दिनांक 23/09/2024 को आदेश पारित कर दिया गया जो किसी भी स्थिति में विधिक आदेश नही है तथा बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाये आदेशिका संघारित की गयी, पक्षकार संयोजित किये गये तथा इस बाबत् कोई पालना आदेशिका के जरिये नही की जाकर सीधे ही आदेश पारित कर दिया गया है जो आदेश काबिले अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपीलाधीन आदेश दिनांक 23/09/2024 को पारित किया गया, जिसकी नकले प्राप्त करने हेतु दिनांक 30/09/2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो नकल तैयार होकर दिनांक 04/10/2024 को दी गयी जिससे अपील अन्दर अवधि श्रीमानजी के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगायत 04 के द्वारा अपील प्रस्तुत कर सरहद मौजा साधु मे अपीलांट के पिता की खातेदारी कृषि भूमि अपील मे वर्णित खसरा नम्बरान की आयी हुई स्थित होने तथा उक्त कृषि भूमि में अपीलांट का भी हक हिस्सा होने का कथन करते हुए गणेशा पुत्र हिरका के नाम से म्युटेशन गलत भरा होने का कथन करते हुए प्रस्तुत की गयी जिस पर बाद तलबी रेस्पोडेण्टगण व अपीलाण्ट डायाराम द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमे शेष समस्त रेस्पोडेण्ट द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया। अपीलांट डायाराम अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेण्ट के द्वारा धारा 05 लिमिटेशन का जवाब प्रस्तुत करते हुए अपील चलने योग्य नही होने बाबत् कथन करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। तत्पश्चात प्रकरण मे जगरूपसिंह को स्वंय न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट बनाया जाकर तलबीआदेश जारी किये गये, तत्पश्चात पक्षकारान की बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 1595 दिनांक 07/06/1987 को खारिज किया गया।

अतः यह अपील श्रीमानजी के समक्ष सादर प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (आदेश) दिनांक 23/09/1924 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपील अपीलांट उपरोक्त अनुसार स्वीकार फरमाई जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

88

मौजा–सांथू, पटवार हल्का–सांथू, भू.अभि.नि. क्षेत्र–चाकरा रोड, तहसील व जिला जालोर के पुराने खसरा नम्बर–105 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर–259, 262 व 321 एवं पुराने खसरा नम्बर–1224 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर–3232, 3233, 3226 इस प्रकार कुल रकबा–19 बीघा 12 बिस्वा की आराजी गणेशा पुत्र हीरका, जाति माली निवासी सांथू तहसील व जिला जालोर के नाम की से खातेदारी आराजी आई हुई है। हम रेस्पोडेण्ट के पिता गणेशा पुत्र हीरका का स्वर्गवास पूर्व में हो चुका है तथा रेस्पोडेण्टस की माता गेरोदेवी का भी स्वर्गवास पूर्व में हो चुका है, रेस्पोडेण्ट के पिता गणेशा पुत्र हीरका की वंशावली निम्न प्रकार है– गेरोदेवी(फौत) पत्नि गणेशा पुत्र हीरका (फौत), भूरा (फौत), देवा,डाया, छगना(पुत्र), पि. गणेशा, उजी (फौत) (पुत्री),लक्ष्मी (पुत्री),अणसी (पुत्री), पिंकी (पुत्री),माफी (पुत्री),आशी (पुत्री),पुत्रीया गणेशा, मृतक भूरा के वारिसान रंगूदेची (पत्नि),गोपाराम (पुत्र),दीपाराम (पुत्र),किशनाराम (पुत्र),सुरेश कुमार (पुत्र),कमला (पुत्री),नारंगी (पुत्री), इस प्रकार मृतक उजी के वारिसान नेमीचंद(पुत्र),लक्ष्मण (पुत्र) है।

गणेशा पुत्र हीरका का स्वर्गवास होने के पश्चात् उपरोक्त वर्णित आराजी में फौतदगी म्यूटेशन संख्या–1595 दिनांक 07–06–1987 को राजस्व अभियान मजमें आम में नायब तहसीलदार जालोर द्वारा गणेशा के पुत्रो के नाम बाले बाले भरा गया, जबकि उक्त आराजी गणेशा पुत्र हीरका की पुश्तैनी खातेदारी आराजी में रेस्पो. के हिस्से हक खातेदारी के अधिकार जन्म से प्राप्त है पुश्तैनी आराजी में हमारा वाईवर्थ राईट होने से नामान्तकरण संख्या 1595 दिनांक 7.6.1987 खारीज फरमाया जावे। अपीलाण्ट डायाराम को छोडकर सभी रेस्पोडेन्ट इस म्युटेशन को खारीज कराने संबंध में अधिनस्थ न्यायालय में अपील का जवाव पेश कर सहमति जाहिर की है। बहनो का नाम म्युटेशन में डाला जाये तो कोई आपत्ति नही है। रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने बताया कि उक्त अपील अपीलांट द्वारा उक्त अपील देरी से प्रस्तुत की है इस सम्बन्ध में एस.डी. ओ. कोर्ट में एक वाद बाबत खातेदारी अधिकार का दायर किया था, जिसमें दोनो पक्षो के लेने देने होने से उक्त वाद को अदम हाजरी अदम पेरवी में खारीज करवा दिया। अतः अपीलांट की अपील खारीज फरमावे। इस पर अपीलांट अधिवक्ता ने दावा की प्रति पेश कर निवेदन किया कि कोरोना काल में हमारे अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने एवं उक्त वाद में अपीलांट की भी मृत्यू हो जाने से उक्त पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज की गयी थी. जिसकी हमे जानकारी होते ही नये अधिवक्ता कर पत्रावली रेस्टोर करवायी है ।

प्रकरण में उभयपक्षो के विद्वान अधिववक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने द्वारा पारित आदेश में यह कथन तो अंकित कर दिया की गणेशा की मृत्यु के पश्चात उनकी संतानो का नाम दर्ज होना चाहिए लेकिन पूर्व मे प्रस्तुत वाद बाबत नये अधिवक्ता कर पत्रावली रेस्टोर करवायी गयी है, लेकिन परिसीमा अवधी बाबत कोई तथ्य न तो अंकित किया है और न ही उसका विशलेषन ही किया है तथा परिसीमा बाधित नही होने बाबत कोई फाईनडिंग ही अंकित नहीं की है तथा साथ ही मूल अनुतोष हेतु इसी बाबत जब मूल वाद विचारणीय है तब ऐसी स्थिति मे उक्त अपील चलने योग्य नही रह जाती थी तथा अधीनस्थ न्यायालय उक्त अपील को विचाराधीन रखते हुए मूल वाद के निर्णित होने तथा उसी अनुरूप उक्त अपील को बाद मे सुनवाई

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

कर निर्णित किये जाने का आदेश पारित कर सकता था, जो विधि अनुरूप आदेश होता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र अपील निर्णित करने के एकमात्र उदेश्य से बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाये अपीलीन आदेश काबिले अपास्त किये जाने योग्य है। वकील रेस्पोडेण्ट का कथन है कि पुश्तैनी आराजी में हमारा वाईवर्थ राईट होने से नामान्तकरण संख्या 1595 दिनांक 7.6.1987 खारीज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस पर मनन किया गया। उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगणो की पुश्तैनी आराजी है जो कि गणेशा से प्राप्त हुई है. एवं गणेशा की मृत्यु के उपरान्त उसकी आराजी में उसके समस्त जायंदा संतानो (पुत्र–पुत्रीयो) का समान हिस्सा उक्त आराजी में दर्ज होना चाहिए था, जबकि गणेशा की मृत्यु पर मात्र उनके पुत्र संतानो का नाम ही उक्त रेकार्ड में दर्ज हुआ है। इस स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.9.2024 उचित है। विधिक रूप से उचित है। एवं इस बावत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.09.2024 में कोई हस्तक्षेप करना आवश्यक नही है। अतः अपीलाण्ट का एतराज मान्य नही है। प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर का निर्णय दिनांक 23.09.2024 विधि सम्मत पारित किया गया है । तदानुसार यह अपील स्वीकार योग्य नही है।

अतः प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर का निर्णय दिनांक 23.09.2024 विधि सम्मत पारित किया गया है। तदानुसार यह अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारीज की जाती है। म्युटेशन संख्या 1595 को खारीज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)